

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1418 -औसं/पाकालि/2016-11(1)ए०एस०/09(14)

दिनांक 07 अप्रैल, 2016

विषय :- लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ (निजी चिकित्सालय) की मान्यता दि० 01.07.2015 से 30.06.2016 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2218-औसं/2014-11(1)ए०एस०/09(14) दिनांक 05.07.2014 एवं आदेश संख्या-162-औसं/2015-11(1)ए०एस०/09(14) दिनांक 14.01.2015 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ, फोन नं०-0121-2792500, 2601901, 8194007414 की मान्यता कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों एवं अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन पूर्व निरन्तरता के साथ दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी। (दिनांक 01.07.2016 से मान्यता हेतु वर्ष 2016-17 का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-1418 -(1) औसं/पाकालि/2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/ (वितरण)/ (वित्त)/ (वाणिज्य)/ (कारपोरेटर प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक (का०प्र०), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केरको, कानपुर।

N62

...2...

- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशाली अभियन्ता(वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical** पर अपलोड करने हेतु।
- 13- सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- निदेशक प्रशासन, लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वे मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ द्वारा निर्गत दिनांक 01.04.2016 के उपरान्त नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये ताकि अस्पताल की मान्यता अग्रेतर बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।
- 15- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ।
- 16- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 17- कट फाइल।

Nat Mathur
7-4-16
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

(नमूना सं० नमूना कार्मिक) काइरनी

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016

उपरोक्त कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए (1) - 01-04-2016